न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017
पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–31/13 वाद पत्र

उनवान

1–गोपी आत्मज नौला तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–लच्छीराम आत्मज नारू तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मु0 धापु पत्नि नारू तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–शंकरलाल आत्मज प्रताप जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–माधु आत्मज हीरा जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मु0 अणछी पत्नि हरलाल जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–नारायण आत्मज हरलाल जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–ऐका आत्मज अमरा तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–तहसीलदार साहब एवं लैण्ड होल्डर साहब रायपुर तहसील रायपुर भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धाराः 88, 89,188,183 रा0टि0एक्ट
निर्णय

दिनांक 31.05.2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 अटल सेवा केन्द्र पालरा में पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालरा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण के पुर्वज नौलाजी के खातेदारी अधिकारी की साबिक आराजी संख्या 938/4 रकबा एक बीघा 6 बिस्वा भुमि स्थित है तथा इससे लगती हुई आराजी संख्या-- 937/1 रकबा 3 बिस्वा भुमि किस्म गै0मु0 मंगरी गैर खातेदारी मे वादीगण के पुर्वज नौला जी के नाम पर दर्ज रैकार्ड थी, जो वर्तमान मे वादीगणों के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भुमियो पर वर्षो से वादीगण काबिज होकर निरन्तर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रमाण मे साबिक जमाबंदी संवत 2039 से 2042, संवत 2048 से 2051 तक एवं संवत 2052 से 2055 तक की एवं नक्शा ट्रैस वाद पत्र के साथ पेश है। वादीगण के पुर्वज द्वारा साबिक आराजी संख्या 938/4 मे एक चाह निर्गाण किया था, जिसको केवल साबिक नक्शा ट्रैस मे अंकित कर था, उसको जमाबंदी मे अंकित नही किया गया, मौके पर उक्त चाह साबिक आराजी 938/4 मे ही खुदा हुआ है। साबिक आराजी संख्या 937/1 किस्म मंगरी पर हम वादीगण के कुंए की खदान पडी हुई होकर उस पर हमारा ही कब्जा चला आ रहा है। तहसील रायपुर मे भू प्रबन्ध होने से ग्राम पालरा मे भी भू प्रबन्ध हुआ, जिससे वादीगण की साबिक आराजी संख्या 938/4 रकबा एक बिघा 6 बिस्वा के नवीन नम्बर – 1239 रकबा 0.28 हेक्टेयर तथा साबिक आराजी संख्या 937/1 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 मंगरी के नवीन नम्बर – 1238 रकबा 0.03 हैक्टेयर दर्ज किये गये। प्रमाण मे मिलान क्षेत्रफल, नवीन नक्शा ट्रैस एवं वर्तमान जमाबंदी की नकले वाद पत्र के साथ है। यह कि भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने बिना किसी विधिक अधिकारी के वादीगण की साबिक आराजी संख्या 937/1 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0 मंगरी की किस्म नवीन जमाबंदी मे गै0मु0 चाह दर्ज कर दी तथा वादीगण के कुंए को नवीन नक्शे मे नवीन आराजी संख्या 1238 मे अंकित कर दिया जब कि मौके पर वादिगण का चाह नवीन आराजी संख्या 1239 मे ही है तथा

..न आराजी संख्या 1238 की किस्म मौके पर मंगरी है। भू प्रबन्ध विभाग का उक्त कृत्य गैर कानुनी है, जिससे वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1238 रकबा 0.03 हेक्टेयर की किस्म गै0मु0 मंगरी दर्ज करने तथा चाह को नवीन नक्शे मे मौके की स्थिति अनुसार आराजी संख्या 1239 मे दर्ज करने की घोषणात्मक डिकि जारी कराना फरमाया जाना आवश्यक है। वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1238 रकबा 0.03 हेक्टेयर पर वादीगण का ही कब्जा है तथा उस पर वादीगण के कुंए की खदान आदी पडी हुई है तथा मौके पर उसकी किस्म मंगरी ही है। प्रतिवादी संख्या एक व प्रतिवादी संख्या दो के पिता हीरा जाट ने ग्राम पंचायत पालरा के सरपंच व सचिव के साथ आपराधिक षडयंत्र रचते हुए फर्जी तरीके से अपने पक्ष मे पट्टा बनवा लिया तथा आबादी भुमि के बजाय हम वादीगण की खातेदारी की आराजी संख्या 1238 मे कब्जा करने की नियत से रोडी डाल दी तथा मना करने पर जान से मारने कि धमकी दे रहे है तथा ग्राम पंचायत से हम वादीगण को झूंठा नोटिश दिलवा रहे है तथा प्रतिवादी संख्या दो जो हीरा का पुत्र है, हमारी खातेदारी भुमि को फर्जी पट्टे की आड मे अपनी बता कर प्रतिवादी संख्या तीन से पांच को विकय कर दी है तथा प्रतिवादीगण उक्त फर्जी पट्टो कि आड मे हमे बेदखल कर उस पर निर्माण करने पर आमादा है, जिससे उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी फरमाई जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1238 रकबा 0.03 हेक्टेयर के आंशिक भाग पर रोडी डाल दी है तथा विधी विरूद्ध रूप से बिना स्वामित्व के उस पर कब्जा करने पर आमादा है। किसी की खातेदारी भुमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने का अधिकार नही है तथा इस प्रकार जारी किये गये पट्टे विधी मे शुन्य है तथा प्रतिवादीगण को शुन्य पट्टो के आधार पर किसी प्रकार का स्वामित्व प्राप्त नही होता है, जिससे प्रतिवादीगण की रोडियो को हटवाया जाकर कबजा वादीगण को दिलाने की डिकि जारी फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।वादीगण को बिनाय वाद ग्राम पालरा मे भू प्रबन्ध होने पर राजस्व रेकोर्ड मे त्रुटि होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक : 04.03.2013 को वादीगण की भुमि पर जबरन रोतिडया डालने तथा मना करने पर ग्राम पंचायत द्वारा दिंनाक : 06.03.2013 को वादी को नोटिश दिलाने पर वादीगण को जानकारी होने पर राजस्व रेकार्ड को नकले दिंनाक 25.03.2013 को प्राप्त होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.04.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 की ओर से कोई उपस्थित नही हुए अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। ततपश्चात दिनांक 16.03.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता हरीश टेलर ने एण्डर टेंकिग ली किन्तु दिनांक 02.11.2016 तक वकालत नामा पेश नही किया गया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 09.11.2016 को वादी की ओर से गवाह गोपी पिता नोल के शपथ पत्र पर बयान पेश किये गये जो शामिल फाईल किये गये। दिनांक 12.11.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प गंगापुर रखी गई। वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली दिनांक 16.11.2016 को आदेश हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से दिनांक 16.11.2016 को अधिवक्ता सुनिल जैन ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 धारा 151 सीपीसी का पेश किया जिस पर दिनांक 30.11.2016 को बहस सुनी जाकर प्रकरण मे दो तरफा के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा व दस्तावेज पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी

...या 6 द्वारा पर्चा मौका एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल फाईल किया गया। वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1:-आया साबिक खसरा नम्बर 937/1 किस्म बाड़ा थी ?-जिम्मे प्रतिवादी।

तनकी संख्या 2:-आया किसी की गैर खातेदारी/खातेदारी भूमि पर पंचायत द्वारा आबादी पट्टा नही दिया जा सकता ? प्रतिवादीगण को जारी पट्टा वैध है ? जिम्मे प्रतिवादी।

तनकी संख्या 3:- आया साबिक खसरा नम्बर के वर्तमान खसरा नम्बर की किस्म पूर्वानुसार कराने का अधिकारी है ? जिम्मे वादी

तनकी संख्या 4:- क्या भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को शुद्ध/घोषणा कराई जा सकती है ? जिम्मे वादी।

अनुतोष--?

वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित है, प्रतिवादी स्वयं उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त तनकीयात पर निम्न विनिश्चय है। तनकी संख्या 1 व 2 जिम्मे प्रतिवादी थी तथा दोनो तनकी एक दुसरे से संबंधित होने से दोनो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने मुख्य रूप से अपने जवाब दावा मे यह अभिकथन किया है कि वादीगण को आराजी संख्या 937/1 अस्थाई तौर से बाडा हेतु आवंटन की गई थी परन्तु संवत् 2033 से 2038 मे तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा जमाबन्दी मे अस्थाई बाडा के बजाय अस्थाई तौर पर भूमि आवंटन का इन्द्राज गलत तौर पर कर दिया गया जिसका फायदा उठाते हुए वादीगण के पूर्वज ने राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर गैर खातेदारी से खातेदारी मे अभिलिखित करवा दी जबकि वादीगण के पूर्वज को कभी भी उक्त भूमि काश्त हेतु आवंटन नही की गई। तथा वादीगण ने आवंटन विरूद्ध अवैधानिक रूप से कुआं खोद दिया जिससे दौराने सेटलमेन्ट गौके की स्थिति अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारियो ने उक्त भूमि के नवीन नम्बर 1238 कायम करते हुए उसी किस्म गे0मु0 चाह अंकित की है तथा इसके अलावा एक सामान्य मस्तिष्क के व्यक्ति को भी इस बात का ध्यान है कि चाह की आराजी मे पट्टा नही बनाया जा सकता है। पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण को आराजी संख्या 1237 मे पट्टे दिये गये है जिन पर आज भी हमारा कब्जा चला आ रहा है। सेटलमेन्ट अधिकारियो ने आराजी संख्या 1238 की किस्म गे0मु0 मंगरी के स्थान पर गे0मु0 चाह अंकित की है जो सही अंकित की है तथा वादीगण विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा देते है तब तक यह वाद पत्र चलने योग्य नही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा अपने साक्ष्य मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्रर्दशित करवाये गये। सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी संख्या 1237/1 किस्म मंगरी थी तथा वादीगण को बाड़े के लिये आवंटन की गई थी जबकि प्रतिवादीगण द्वारा आराजी संख्या 1237/1 की किस्म बाड़ा बताई जा रही है जो गलत है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा मे साबिक आराजी संख्या 937 किस्म आबादी मे पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के बात अंकित की गई है जबकि तहसीलदार रायपुर द्वारा प्राप्त जवाब एवं मौका रिपोर्ट से पूरी तरह प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण का कब्जा वादीगण की आराजी संख्या 1238 पर है तथा पूर्व मे उक्त आराजी की किस्म मंगरी थी जो गे0मु0 आवा अंकित कर दी गई है। पूर्व मे चाह आराजी संख्या 1239 मे स्थित है। आराजी संख्या 1238 वर्तमान मे खाली पड़ी हुई है। प्रतिवादीगण को ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे न्यायालय एडीम सा0 भीलवाडा के द्वारा दिनांक 11.05.2016 को निरस्त कर दिये गये है।

किसी भी संस्था या ग्राम पंचायत को खातेदारी भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नही है यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी की खातेदारी भूमि पर पट्टे जारी कर दिये जाते है तो विधि मे शुन्य है तथा उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही होते है तथा उन पट्टो के आधार पर किसी को भूमि विक्रय की जाती है तो ऐसे विक्रय पत्र शुरू से ही शुन्य है। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 व 4 दोनो एक दुसरे से संबंधित होने से दोनो का विनिश्चिय एक साथ किया जा रहा है। वादीगण ने अपने सह शपथ बयानो साबिक जमाबन्दी प्रर्दश 1 संवत् 2039 से 2042 की पेश की जिसमे साबिक आराजी संख्या 937/1 की किस्म गे0मु0 मंगरी है तथा सेटलमेन्ट तक राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजी की किस्म गे0मु0 मंगरी थी तथा वादीगण का चाह साबिक आराजी संख्या 938/4 मे खुदा हुआ था जिसका अंकन जमाबन्दी मे नही था परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस प्रर्दश 4 साबिक आराजी संख्या 938/4 मे चाह को अंकित किया गया है परन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात वादीगण की नवीन आराजी संख्या 1238 रकबा 0.03 हे0 की किस्म मंगरी के बजाय चाह अंकित कर दी तथा चाह को नवीन नक्शे मे आराजी संख्या 1239 से हटा कर 1238 मे अंकित कर दिया। नवीन नक्शा प्रर्दश 6 है। तहसीलदार रायपुर के जवाब एवं मौका रिपोर्ट से भी वादीगण के वाद पत्र की पुष्टि होती है। सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो द्वारा बिना किसी विधिक आदेश के वादीगण के राजस्व रेकार्ड मे बदलाव करने का अधिकार नही है। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी द्वारा की गई उक्त त्रुटी को दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। जिससे तनकी संख्या 3 व 4 वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 4 व 5 वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाने से वाद पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः

आदेश

ग्राम पालरा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के हाल आराजी न0 1238 में स्थित चाह को मौके की स्थिति अनुसार हाल ख0न0 1239 में दर्ज किया जाने व हाल आ0न0 1238 रकबा 0.03 है0 की किस्म पूर्ववत मंगरी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तदानुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

31/5/17

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 31.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा
31/5/17

गूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—31/13 वाद पत्र

उनवान

1—गोपी आत्मज नौला तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—लच्छीराम आत्मज नारू तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—मु0 धापु पत्नि नारू तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—शंकरलाल आत्मज प्रताप जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—माधु आत्मज हीरा जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—मु0 अणछी पत्नि हरलाल जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—नारायण आत्मज हरलाल जाट आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—ऐका आत्मज अमरा तेली आयु बालिग नि0 पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6—तहसीलदार साहब एवं लैण्ड होल्डर साहब रायपुर तहसील रायपुर भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धाराः 88, 89,188,183 रा0टि0एक्ट

यह मुकदमा वास्ते इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री ग्राम पालरा पटवार हल्का पालरा तहसील रायपुर के हाल आराजी न0 1238 में स्थित चाह को मौके की स्थिति अनुसार हाल ख0न0 1239 में दर्ज किया जाने व हाल आ0न0 1238 रकबा 0.03 है0 की किस्म पूर्ववत मंगरी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तदानुसार घोषणात्मक डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट 31/5/17
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 31.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) 31/5/17
रायपुर जिला भीलवाड़ा